भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
नागरिक चार्टर

1. परिचय

1995 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (आईएसएम एंड एच) की स्थापना की गई थी। 2003 में इसे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग के रूप में आयुष के संक्षिप्त नाम से पुनः नामित किया गया था। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने, स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने और आयुष को चिकित्सा की पसंदीदा प्रणाली और योग को विश्वव्यापी बनाने के लिए सरकार की नीति के साथ, 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को मंत्रालय का दर्जा दिया गया था। बाद में, 13 अप्रैल 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1494 के अनुसार, आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय का नाम फिर से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष (*आयुष मंत्रालय*) के रूप में बदल दिया गया।

आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी (आयुष) स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के संवर्धन, विकास और प्रसार के लिए कार्यक्रमों के नीति निर्माण, विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, नैदानिक प्रथाएं प्रदान करना, वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन, गुणवत्ता वाली दवाओं को सुनिश्चित करने के लिए फार्माकोपिया मानकों को निर्धारित करना, अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं को विकसित करना, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का पालन करना, शिक्षा मानकों को विनियमित करना, एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष की स्थापना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आयुष इकाइयां और जिला एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष विंग स्थापित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाना, आयुष अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन, सूचना, शिक्षा और संचार उपायों के माध्यम से गतिविधियों के संगठन के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, औषधीय पौधों का उत्पादन वृद्धि करना, आयुष के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे मंत्रालय भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी के विकास और व्यापक पहुंच में मदद कर रहा है।

2. मंत्रालय का मिशन

उद्देश्य

मंत्रालय ने आयुष गतिविधियों के सात व्यापक विषयगत क्षेत्रों के संदर्भ में अपने मिशन की पहचान की है। विषयगत क्षेत्र इस प्रकार हैं:

I. आयुष के क्षेत्र में प्रभावी मानव संसाधन विकास
II. गुणवत्तापूर्ण आयुष सेवाओं का प्रावधान
III. सूचना, शिक्षा और संचार

IV. आयुष क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान
V. औषधीय पादप क्षेत्र का विकास
VI. औषध प्रशासन
VII. आयुष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएँ

3. सेवाओं की सूचि

I. औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन
II. आयुस्र्वास्थ्य योजना
III. आयुर्ज्ञान योजना
IV. आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने की योजना
V. आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना
VI. 'चिकित्सा मूल्य यात्रा' के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना
VII. आयुष गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई)
VIII. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)
IX. आयुष महाविद्यालयों की अनुमति से संबंधित द्वितीय अपील

4. नागरिक सहायता सेवाएँ

आयुष क्षेत्र में नागरिक विशिष्ट सेवाओं का अधिक विवरण योजना अनुभाग के तहत आयुष मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
https://ayush.gov.in

5. सेवा वितरण मानक तथा समय सीमा

क्र.सं.	नागरिकों को प्रदान की गई सेवा की प्रकृति	सांकेतिक समय सीमा (दिनों में)	संबंधित अधिकारी का विवरण			टिप्पणियां
			नाम एवं पदनाम	ई - मेल आईडी	टेलीफोन / मोबाइल नंबर	
1	**औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन**					
1.1	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना।	120 दिन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनएमपीबी	info-nmpb@nic.in	011-23721821 011-23721822	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।
2	**आयुर्स्वास्थ्य योजना**					
2.1	योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पात्र संगठनों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	120 दिन	निदेशक-योजनाएँ	shashi.vidyarthi@gov.in	011-24651793	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।
3	**आयुर्ज्ञान योजना [आयुर्ज्ञान योजना के आयुष घटक (तत्कालीन ईएमआर योजना) और आयुर्ज्ञान योजना के सीएमई घटक में अनुसंधान और नवाचार**					
3.1	योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान-सहायता प्रदान करना।	120 दिन	निदेशक-योजनाएँ	shashi.vidyarthi@gov.in	011-24651793	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।

4	**सूचना, शिक्षा और संचार को बढ़ावा देने की योजना (आईईसी) आयुष में**					
4.1	राष्ट्रीय स्तर के आरोग्य मेलों एवं राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों दोनों का आयोजन, आयुर्वेद पर्वंद योग उत्सव/उत्सव	90 दिन	निदेशक, आईईसी	iec-ayush@nic.in	011-24651658	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।
4.2	राष्ट्रीय स्तर के आरोग्य मेलों और राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों, आयुर्वेद पर्व और योग फेस्ट/उत्सव में भाग लेने के लिए आयुष उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना	90 दिन	निदेशक, आईईसी	iec-ayush@nic.in	011-24651658	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।
4.3	आयुष प्रणाली पर केन्द्रित स्वास्थ्य मेलों/मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी	90 दिन	निदेशक, आईईसी	iec-ayush@nic.in	011-24651658	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।

4.4	आयुष प्रणालियों पर सेमिनार, वेबिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, बैठक आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	90 दिन	निदेशक, आईईसी	iec-ayush@nic.in	011-24651658	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।
5	**आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना**					
5.1	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि में आयुष से संबंधित वैज्ञानिक शोध पत्रों की प्रस्तुति के लिए वित्तीय सहायता।	**60 दिन**	डॉ. कपिल शर्मा (अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेद)	ic-ayush@nic.in	011-24651960	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।
5.2	अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, रोड शो आदि में भागीदारी के लिए आयुष दवा निर्माताओं, उद्यमियों, आयुष संस्थानों आदि को प्रोत्साहन।	**60 दिन**	डॉ. कपिल शर्मा (अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेद)	ic-ayush@nic.in	011-24651960	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।

5.3	अंतरराष्ट्रीय नियामक एजेंसियों आदि के साथ आयुष उत्पादों के बाजार प्राधिकरण/पंजीकरण के लिए आयुष दवा निर्माताओं को प्रोत्साहन।	**60 दिन**	डॉ. कपिल शर्मा (अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेद)	ic-ayush@nic.in	011-24651960	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।
5.4	भारत में राज्य सरकारों/प्रख्यात संस्थानों, संगठनों आदि द्वारा आयुष प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता।	**60 दिन**	डॉ. कपिल शर्मा (अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेद)	ic-ayush@nic.in	011-24651960	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।
6	**'चिकित्सा मूल्य यात्रा' के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना**					
6.1	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना	**120 दिन**	श्री। विक्रम सिंह निदेशक	vikramsingh-cea@gov.in	011-24656863	सांकेतिक समय-सीमा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से है।

7	**आयुष गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई)**					
7.1	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान सहायता प्रदान करना	**180 दिन**	श्री मदन लाल मीना, अवर सचिव	madanlal.meena30@gov.in	011-24651956	सांकेतिक समय-सीमा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और धन की उपलब्धता के अधीन पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से है
8	**राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)**					
8.1	आयुष का प्रचार एवं विकास	**90 दिन**	श्रीमती -ममता यादव, अवर सचिव	Mamtayadv.edu@nic.in	011-24651983	राष्ट्रीय आयुष मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार

9	एएसयू और एसआर और होम्योपैथी कॉलेजों की अनुमति की दूसरी अपील से संबंधित मामले					
9.1	एनसीआईएसएम/एनसीएच अधिनियम 2020 के तहत एएसयू और एसआर और होम्योपैथी कॉलेजों से संबंधित दूसरी अपील का प्रसंस्करण।	लागू नहीं	निदेशक-शिक्षा नीति प्रभाग	shashi.vidyarthi@gov.in	011-24651793	एनसीआईएसएम/एनसीएच अधिनियम 2020 के प्रावधान 9 (6) के अनुसार, नए कॉलेजों/संस्थानों की स्थापना के संबंध में अपीलों को आयोग (पहली अपील) और केंद्र सरकार (दूसरी अपील) द्वारा निपटाया जाना है।
9.2	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/केंद्रीय विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय संस्थान/मानद विश्वविद्यालय के तहत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) पाठ्यक्रमों की अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू)-स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों पर प्रवेश के लिए एएसीसीसी यूजी और पीजी ई-काउंसलिंग।	75-90 दिन	निदेशक-शिक्षा नीति प्रभाग	shashi.vidyarthi@gov.in	011-24651793	एएसीसीसी-यूजी और पीजी ऑनलाइन काउंसलिंग सेवाएँ विशेष रूप से एएसयू एंड एच संस्थानों के तहत एआईक्यू-यूपी और पीजी सीटों पर प्रवेश चाहने वाले आयुष- यूजी और पीजी उम्मीदवारों के लिए हैं।

6. आवेदकों की सामान्य बाध्यताएँ

सभी आवेदकों को सही जानकारी और वैध और वास्तविक सहायक दस्तावेजों के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए अपने आवेदन जमा करने की आवश्यकता है।

7. शिकायत निवारण

सेवा मानकों के गैर-अनुपालन, सेवा प्रदान करने में विफलता से उत्पन्न होने वाली कोई भी शिकायत या परिवाद केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) pgportal.gov.in पर ऑनलाइन की जा सकती है अथवा लोक शिकायत नोडल अधिकारी, आयुष मंत्रालय, 'आयुष भवन', 'बी'-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली- 110023 को लिखित रूप में दी जा सकती है।

8. प्रतिक्रिया/सुझाव

फीडबैक और सुझाव लोक शिकायत नोडल अधिकारी, आयुष मंत्रालय, 'आयुष भवन', 'बी'-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को लिखित में दिए जा सकते हैं।

9. चार्टर की अगली समीक्षा का माह/वर्ष

यह चार्टर जुलाई, 2023 में अद्यतन किया गया है। जुलाई, 2024 में चार्टर की समीक्षा अभिप्रेत है।

******

संलग्नक

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न संगठन

क्र.सं.	**संगठन**	**वेबसाइट**
क. वैधानिक विनियामक निकाय		
1.	भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम)	http://ncismindia.org
2.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)	http://nch.org.in

ख. सहयोगी कार्यालय		
1.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच)	http://pcimh.gov.in
ग. शीर्ष अनुसंधान संस्थान		
1.	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)	http://ccras.nic.in
2.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन)	http://ccryn.gov.in
3.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)	http://ccrum.res.in
4.	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस)	http://siddhacouncil.com
5.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)	http://ccrhindia.nic.in
घ. शीर्ष राष्ट्रीय संस्थान		
1.	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, (आईटीआरए), जामनगर (गुजरात)	http://itra.ac.in
2.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), गौतमपुरी, सरिता विहार नई दिल्ली	http://aiia.gov.in
3.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर (राजस्थान)	http://nia.nic.in
4.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), मेघालय	http://neiah.nic.in
5.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर) पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश	http://neiafmr.org.in
6.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली	http://ravdelhi.nic.in
7.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली	http://yogamdniy.nic.in
8.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे (महाराष्ट्र)	http://ninpune.ayush.gov.in
9.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बैंगलोर (कर्नाटक)	http://nium.in
10.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई (तमिलनाडु)	http://nischennai.org
11.	राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर), लेह, लद्दाख	http://sowarigpainstitute.in
12.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता (पश्चिमी बंगाल)	http://nih.nic.in
ङ. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम		
1.	इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल), मोहान	http://impclmohan.nic.in